वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

पत्र संख्या- 69/2025 *दिनांक- 23.02.2025*

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक-23.02.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01. थाना-देवगाँवः- धोखाधड़ी में वांछित 15000 रूपये का ईनामिया अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 10.09.2024 को वादी जयकुवँर यादव पुत्र जैतू यादव निवासी उबारपुर लखमीपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्तों 01. अकबाल पुत्र सतार मंसूरी निवासी बरदह थाना बरदह आजमगढ़ 02. तैय्यब पुत्र एनुलहक निवासी टिकरगाढ़ थाना देवगाँव आजमगढ़ द्वारा आराजी नम्बर 374, रकबा 0.1555 हे0 का 1/2 अंश जो अकबाल पुत्र वलीजान निवासी टिकरगाढ़ थाना देवगाँव आजमगढ़ के नाम है, का फर्जी जमीन से संबंधित कागजात, फर्जी निवास प्रमाण पत्र, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड व फर्जी बैंक पासबुक बनाकर दूसरे का प्रतिरूपण करके वादी को 80,00000 रूपये में बैनामा कर दिये। जिसमें से बैनामा के रूपयों का 30,00000 रूपये वादी द्वारा अपने मित्र संतोष कुमार के सिंह के खाता से अभियुक्त अकबाल पुत्र सतार मंसूरी के खाते भेजा गया व शेष धनराशि (50,00000) को वादी द्वारा अभियुक्तों को नगद दिया गया था। जब वादी बैनामे की जमीन पर कब्जा करने गया तो आस-पास के लोगों द्वारा बताया गया कि जमीन के मालिक जो आज से कई सालों पहले घर से बाहर कहीं चले गये हैं उनके द्वारा यह जमीन आपको बैनामा नहीं किया गया है, उक्त जमीन के विषय अधिक जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि वादी के साथ धोखाधडी कर बैनामा किया गया है। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 331/2024 धारा 406/419/420/467/468/471 भादवि बनाम अभियुक्त उपरोक्त आदि 02 नफर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अकबाल पुत्र सतार मंसूरी निवासी बरदह थाना बरदह आजमगढ़ के ऊपर दिनांक 20.02.2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ महोदय द्वारा 15,000 रूपये का इनाम घोषित किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 23.02.2025 को उ0नि0 अमित कुमार त्रिपाठी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित, 15,000 रूपये का इनामिया अभियुक्त मो0 अकबाल पुत्र सत्तार मन्सूरी सा0 बरदह थाना बरदह जनपद आजमगढ़ वाराणसी आजमगढ़ हाईवे पर बेसो नदी पुल के पास समय करीब 12.50 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

01. मु0अ0सं0 331/2024 धारा 406/419/420/467/468/471 भादवि

गिरफ्तार अभियुक्तः-

01. मो0 अकबाल पुत्र सत्तार मन्सूरी सा0 बरदह थाना बरदह जनपद आजमगढ़